CIN : L02710CT1989PLC010052
GST - 22AAACN0407F1ZA

NOVA
IRON & STEEL LTD.
Village & Post-Dagori,
Tahsil-Belha, (Distt) Bilaspur 495 224 (C.G.)
Mob. 9109107310
Email : novaironsteel@gmail.com

THROUGH ONLINE PORTAL

Ref: NISL/LISTING/2025-26
Dated: 07/07/2025

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai-400001

Subject: Publication of Extract of Audited Financial Results for the quarter and year ending 31/03/2025

Ref: Regulation 47 of SEBI (LODR)

Dear Sir,

In continuation to our earlier intimation dated 04.07.2025 the Extract of Audited Financial Results for the quarter and year ending 31/03/2025 have been published in “Financial express” an English National Daily and “Chhattisgarh” a regional daily on 06.07.2025 and “Jansatta” a Hindi National Daily on 06.07.2025 in compliance with the Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015.

Copies of said published extract of results in Financial Express, An English National Daily, Jansatta a Hindi National Daily Chhattisgarh, a regional Daily are enclosed for your record.

Kindly Take note of the above and also update your website for information of our shareholders and investors.

Yours faithfully,
For Nova Iron & Steel Limited

DHEERAJ KUMAR
Digitally signed by DHEERAJ KUMAR
Date: 2025.07.07 13:12:29 +05'30'

Dheeraj Kumar
(Company Secretary)

## UCO BANK

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

**Branch Address: Faridabad Main (0390)**
Neelam Chowk, R-8, NH-5, NIT Faridabad, Haryana, 121001

### Possession Notice for Movable and Immovable Property

Whwereas the undersigned being the Authorized Officer of the **UCO Bank Branch Office Faridabad Main (0390)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with **Rule 3** of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice dated **16-10-2024** calling upon the borrower's **1) M/s S K Trading Prop: Mrs. Shilpi Gupta W/o Sh. Ankush Gupta 2). Mrs. Shilpi Gupta, 3) Mrs. Preeti Gupta W/o Sh. Jitender Gupta (Guarantor)** to repay the amount mentioned in the notice being is **Rs. 51,79,741.02** (In words Rs. Fifty One Lakhs Seventy Nine Thousand Seven Hundred Forty One and Two Paisa Only - including interest upto 30-11-2024) with further interest, charge, costs etc. within 60 days, from the date of receipt of the said notice.

**The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section (4) of Section 13 of the Act read with rule 4 & 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 02nd day of July of the year 2025.**

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **UCO Bank Faridabad Main Branch** for an amount of is **Rs. 51,79,741.02 (In words Rs. Fifty One Lakhs Seventy Nine Thousand Seven Hundred Forty One and Two Paisa Only - including interest upto 30-11-2024)** with further interest and incidental charges, costs etc.

**The borrower's /guarantor's / mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.**

**DESCRIPTION OF MOVABLE PROPERTY**

Hypothecated assets Viz. Current assets including stocks, book debts, Receivable, consumable stores.

**DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY**

**Property :** All that part and parcel of the property consisting of House No. 110 ward no 7 Mohalla Sekhwara old Faridabad owner Mrs. Preeti Gupta W/O Mr. Jitender Gupta transfer deed no 19680 dated 29-02-2016 book no. 1 Jild No. 1 page no 109 sub registrar Faridabad property ID No 6190102818600 Bounded as under :

**On the North by:** Property no 111A
**On the South by :** Road 12' wide
**On the East by :** Gali
**On the West by :** Shop (Property of Masjid)

**Date: 02.07.2025, Place: Faridabad** **(Sd/-), Authorized Officer, UCO Bank**

## INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD.

IndiaShelter Home Loans

**POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY**

Regd:Office:- Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana -122002. Branch Add. Office No 05, 1st Floor, SMB Plaza, Delhi Gate, Udaipur – 313001.

Whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of The India Shelter Finance And Corporation Ltd.Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assests And Enforcement (security) Interest Act.2002 And In Exercise Of Power Conferred Under Section 13(2) And 13(12) Read With Rule Of The Security Interest (enforcement) Rules.2002,issued A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As Mentioned Hereinafter, Calling Upon The Borrower And Also The Owner Of The Property/surety To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Said Notice. Whereas The Owner Of The Property And The Other Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To The Under Noted Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Property/ies Described Herein Below In Exercise Of The Powers Conferred On Him/her Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account. Now, The Borrower In Particular And The Public In General Is Hereby Cautioned Not To Deal With The Property/ies And Any Dealing With The Property/ies Will Be Subject To The Charge Of India Shelter Finance Corporation Ltd For An Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

| Name of the Borrower/ Guarantor (Owner Of The Property) & Loan Account Number | Description Of The Charged/mortgaged Property (All The Part & Parcel Of The Property Consisting Of) | Dt.of Demand Notice, Amount Due As On Date Of Demand Notice | Date Of Possession |
|---|---|---|---|
| MR./ MRS. KANKU BAI, MR./MRS ISHWAR LAL GAYRI Reside At: Lalpura, Hinta, Udaipur, Rajasthan 313603, Also At : Aaraji No. 390, Village – Lalpura, Patwar Halka Lalpura, Tehsil – Kanod, Dist - Udaipur Rajasthan 313603 LOAN ACCOUNT NO. LA31VLLONS000005082828 | All Piece And Parcel Of , Aaraji No. 390, Village – Lalpura, Patwar Halka Lalpura, Tehsil – Kanod, Dist- Udaipur Rajasthan 313603, Boundary: East – Self Land, West – Chowk May Rasta, North – Main Rasta, South – Dali Chand / Kalu Ji Wada. | Demand Notice 11.04.2025 Rs. 823503/- (Rupees Eight Lakh Twenty Three Thousand Five Hundred Three Only) Due As On 10.04.2025 Together With Interest From 11.04.2025 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment. | 01.07.2025 Symbolic Possession |
| MR./ MRS. PUSHPA DANGI, MR./MRS. RAJU LAL DANGI Reside At: Part Of Khasara No. 369, Gram – Gowla, Powerhouse Choraha, Tehsil – Girwa, Distt.- Udaipur, Rajasthan 313024, LOAN ACCOUNT NO. HL31CHLONS000005034410 | All Piece And Parcel Part Of Khasara No. 369, Gram – Gowla, Powerhouse Choraha, Tehsil – Girwa, Distt. - Udaipur, Rajasthan 313024 Boundary: East – Road H/o Bhola, West – H/o Meghraj, North – Road, South – H/o Uday Lals. | Demand Notice 11.04.2025 Rs. 2015020/- (Rupees Twenty Lakh Fifteen Thousand Twenty Only) Due As On 10.04.2025 Together With Interest From 11.04.2025 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment. | 01.07.2025 Symbolic Possession |

**Place: RAJASTHAN Date: 06.07.2025 For India Shelter Finance Corporation Ltd (Authorized Officer)**
**FOR ANY QUERY, PLEASE CONTACT MR. Vinay Rana (+91 79886 05030) & MR. Deepak Suthar (+91 9649990190)**

## MANAPPURAM HOME FINANCE LIMITED

MANAPPURAM HOME FINANCE LTD.
FORMERLY MANAPPURAM HOME FINANCE PVT LTD
CIN : U65923KL2010PLC039179
Unit 301-315, 3rd Floor, A wing, Kanakia Wall Street, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400093
**Contact No.:** 022-68194000/022-66211000.

**Demand Notice**

Whereas the Authorized Officer of Manappuram Home Finance Ltd., having our registered office at IV/470A (old) w/638A (new), Manappuram House, Valapad, Thrissur, Kerala-680567 and branches at various places in India (hereinafter referred to as 'MAHOFIN') is a Company registered under the Companies Act, 1956 and a Financial Institution within the meaning of sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of Section 2 of the Securitization and Reconstruction of financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred so as the Act) read with Notification No. S.O. 3466 (E) dated 18th December, 2015 issued by the Govt. of India, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi, inter alia carrying on business of advancing loans for construction and / or purchase of dwelling units and whereas the Borrower / Co-Borrowers as mentioned in Column No. 2 of the below mentioned chart obtained loan from MAHOFIN and whereas MAHOFIN being the secured creditor under the SARFAESI Act, and in exercise of powers conferred under section 13(2) of the said Act read with Rule 2 of the security interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice calling upon the Borrowers / Co-Borrowers as mentioned herein below, to repay the amount mentioned in the notices with further interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served upon some of them for various reasons. That in addition thereto for the purposes of information of the said borrowers enumerated below, the said borrowers are being informed by way of this public notice.

| Sr. No. | Name of the Borrower /Co-Borrower/ LAN/Branch | Description of Secured Asset in respect of which Interest has been created | NPA Date | Date of Notice sent & Outstanding Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHHOTI DEVI, AAHISH KUMAR/ MHL00520024697/ JAIPUR | Plot with PATTA NO. 1, Sankalp No-01,Area 295.55 Sq Yards, Gram Panchayat Devgav-Nua, Panchayat Samiti Nawalgarh, Jhunjhunu, P.S. NAWALGARH DIST-JHUNJHUNU, P.O NUA, RAJASTHAN, Pin: 333041.EAST-Land of Bhagirathmal, WEST-Common Way, SOUTH-House of Rajpal S/o Mr.Sujaram, NORTH-Common Way | 08-06-2025 | 11-06-2025 & Rs.419585/- |

Notice, is therefore given to the Borrowers / Co-Borrowers, as mentioned herein above, calling upon them to make payment of the total outstanding amount as shown herein above, against the respective Borrower / Co-Borrower, within 60 days of publication of this notice. Failure to make payment of the total outstanding amount together with further interest by the respective Borrower/ Co-Borrower, MAHOFIN shall be constrained to take u/s 13(4) for enforcement of security interest upon properties as described above, steps are also being taken for service of notice in other manners as prescribed under the Act and the rules made hereunder. You are put to notice that the said mortgage can be redeemed upon payment of the entire amount due together with costs, charges and expenses incurred by MAHOFIN at any time before the date of publication of notice for public auction or private treaty for transfer by way of sale, as detailed in Section 13(8) of the SARFAESI Act.
Take note that in terms of S- 13 (13) of the SARFAESI Act, you are hereby restrained from transferring and/or dealing with the Secured Properties in any manner by way of sale, lease or in any other manner

**Date: 06/07/2025 | Place: RAJASTHAN** **Sd/- Authorized Officer, Manappuram Home Finance Ltd**

## MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LIMITED

**Possession Notice**

**Corporate Office:-** Mahindra Rural Housing Finance Ltd. Sadhana House, 2nd Floor, 570, P.B.Marg Worli, Mumbai 400 018 India,Tel: +91 22 66523500 Fax: +91 22 24972741
**Regional Office:** Ashoka Raj Tower, 2nd Floor, C.P.162 Sec D LDA Colony, Kanpur Road, Near Power House Chauraha, Lucknow-226005, UP. **Branch Office :** 1st Floor, Asha Modern School Lane, Saharanpur Court Rd, Mission Compound, near Civil Court, Saharanpur - 247001

**(For Immovable Property) (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)**

Whereas the undersigned being the authorized officer of M/S Mahindra Rural Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "MRHFL"), Having its registered office at **LUCKNOW** and Branch office at **SAHARANPUR** under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein above and to the public in general that undersigned has taken **possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub section (4) of section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the **03.07.2025**

The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the Charge of M/S Mahindra Rural Housing Finance Ltd. for an amount and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| S.N. | Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) | Description of Secured Asset (Immovable Property) | Demand Notice Date and Amount | Date of Possession |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **(LC No: 1134633/ XSEMSAR00973128 Saharanpur Branch) GULZAR** (Borrower) **RIJVANA URF KHUSNUMA,** (Co Borrower) **MOHD. ISLAM** (GUARANTOR) | KHASRA NO. 3088 WAKE GRAM GANGOH, MAJBATA ANDAR HADOOD ZA, PARGANA AND TEHSIL NAKUR,UP-247462. East:- HOUSE OF IRFAN, West:- HOUSE OF NAFEES, North:- 14 FT WIDE ROAD, South:- HOUSE OF YASIN | **30-05-2022 Rs. 7,72,592.00** | **03-07-2025 Physical Possession** |

**Place :- Saharanpur Date:-06.07.2025 Sd/- Authorised Officer Mahindra Rural Housing Finance Limited**

## NOVA IRON & STEEL LTD

Registered Office : Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (Chhattisgarh)
Email: rai_nisl2007@yahoo.com, website: www.novaironsteel.com
(CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285225-26, Fax: 07752-285213
Extract from the Audited Financial Results for the Quarter and year Ended 31.03.2025 Rs. In Lakhs

| Sr. No. | Particulars | Quarter ending 31.03.2025 | Year to date figures 31.03.2025 | Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Total Income from Operations | 9910.51 | 41984.92 | 14445.62 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | -1123.12 | -1833.92 | -3565.76 |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 14883.19 | 13974.44 | -10110.33 |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 15787.96 | 14879.21 | -6804.79 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 15802.66 | 14893.91 | -6810.93 |
| 6 | Equity Share Capital | 3613.95 | 3613.95 | 3613.95 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | -4743.92 | -4743.92 | -19637.83 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic & diluted | 43.69 | 41.17 | -18.83 |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the QuarterlyFinancial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (www.bseindia.com and www.novaironsteel.com)

For and on behalf of Board of Directors
For Nova Iron & Steel Ltd.
Sd/- (Dinesh Kumar Yadav)
Whole Time Director
DIN 07051856

Place : New Delhi
Dated: 4.07.2025

## IDBI BANK

**IDBI BANK LTD, Retail Recovery, 8th Floor, Plate B, Block 2, NBCC Office Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 PH No-011-69297171**

**POSSESSION NOTICE**

Whereas the undersigned being the authorised officer of IDBI Bank Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices calling upon the below mentioned Borrower (s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice with further interest and legal expenses thereon within 60 days from the date of receipt of the said demand notice.

The borrower (s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below, in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrower (s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IDBI Bank Limited for the amount mentioned in Demand Notice with legal expenses and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| Sr. No. | Name of Borrower/ Co-borrower/ Guarantor | Date Demand Notice | Date of Symbolic Possession | Description of Mortgaged Property | Amount O/s as mentioned in the notice u/s 13(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Anushri Garg (Borrower) and Sharad Garg (Co-Borrower) | 22.04.2025 | 04.07.2025 | # 1604, 16th Floor, Tower A -7, Saviour Greenisle, NH 24, Crossing Republic, Ghaziabad.201010 | Rs. 31,10,852/- (Rupees Thirty One Lakh Ten Thousand Eight Hundred Fifty Two Only) with further interest and legal expenses thereon. wef09.02.2025. |

**Date: 05.07.2025, Place: New Delhi** **Sd/-, Authorised Officer, IDBI Bank Ltd.**

## ICICI Bank

Branch Office: ICICI Bank Ltd, 116, Civil Lines, Bareilly, UP

**PUBLIC NOTICE-TENDER CUM E-AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET**
[See proviso to Rule 8(6)]
Notice for sale of immovable asset(s)

E-Auction Sale Notice for the sale of immovable assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

This notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/ charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Limited will be sold on 'As is where is', 'As is what is' and 'Whatever there is' as per the brief particulars given hereunder;

| Sr. No. | Name of Borrower(s)/ Co-Borrowers/ Guarantors/ Loan Account No. | Details of the Secured asset(s) with known encumbrances, if any | Amount Outstanding | Reserve Price Earnest Money Deposit | Date and Time of Property Inspection | Date & Time of E-Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
| 1. | Firoz Alam (Borrower), Noim Bano (Co-Borrower) Lan-TBBAR00006795833 | House Built On Part of Khasra No. 107, Situated In Abhay Pur Camp, Tehsil & District Bareilly, UP. Area: 720 Sq Ft | Rs. 23,16,152/- as on June 24,2025 | Rs. 23,50,000/- Rs. 2,35,000/- | July 24, 2025 From 02:00 PM to 03:00 PM | August 13,2025 From 11:00 AM- 12:00 Noon |

The online auction will be conducted on the website (URL Link- https://disposalhub.com) of our auction agency M/s NexXen Solutions Private Limited. The Mortgagors/ Noticees are given a last chance to pay the total dues with further interest by August 12,2025 before 05:00 P.M else these secured asset(s) will be sold as per schedule.
The prospective bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD) (Refer Column E) at ICICI Bank Ltd, 116, Civil Lines, Bareilly, UP on or before August 12,2025 before 05:00 P.M Thereafter, they have to submit their offer through the website mentioned above on or before August 12,2025 before 05:00 P.M along with the scanned image of the Bank acknowledged DD towards proof of payment of EMD. In case the prospective bidder(s) is/ are unable to submit his/ her/ their offer through the website, then the signed copy of tender documents may be submitted at ICICI Bank Ltd, 116, Civil Lines, Bareilly, UP on or before August 12,2025 before 05:00 P.M. Earnest Money Deposit DD/PO should be from a Nationalised/ Scheduled Bank in favour of 'ICICI Bank Limited' payable at Bareilly.
For any further clarifications in terms of inspection, Terms and Conditions of the E-Auction or submission of tenders, contact ICICI Bank Employee Phone No. 9372730494/8584874809
Please note that the Marketing agencies 1. Augeo Assets Management Private Limited, 2. Matex Net Pvt. Ltd., 3. Finvin Estate Deal Technologies Pvt Ltd, 4. Girnarsoft Pvt Ltd, 5. Hecta Prop Tech Pvt Ltd, 6. Arca Emart Pvt Ltd, 7. Novel Asset Service Pvt Ltd, 8. Nobroker Technologies Solutions Pvt Ltd, 9. Valuetrust Capital Services Pvt Ltd have also been engaged for facilitating the sale of this property.
The Authorised Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons.
For detailed Terms and Conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s

Date : July 05, 2025
Place: Bareilly
Authorized Officer
ICICI Bank Limited

## Canara Bank

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking) Together We Can

# E-AUCTION NOTICE

**SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTIES THROUGH E-AUCTION (ONLINE AUCTION) UNDER RULES 8(6) & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002**

Notice is hereby given to the effect that the immovable properties described herein, taken possession under the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in Security Interest (Enforcement) Rules 2002, will be sold through e-auction on the following terms & conditions, through **M/s. PSB Alliance** through the website **https://baanknet.com/**

| S. No. | Name and Address of the Secured Creditor & Address in which the tender document to be submitted | Name and Address of the Borrower | Total Liabilities as on | Details of Property/ies | Reserve Price & EMD Last Date and Time of Depositing EMD Amount | EMD Amount Deposit Details | Date & Time of E-Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **CANARA BANK, Bhilwara Main (1862) Branch:** Diamond Tower, Near Amar Talkies, Gandhi Nagar, Bhilwara 311001. (Ph. No. 9001098274, 8104529587, 9958267720) E-mail ID: cb1862@canarabank.com | **1. M/s Ajanata Trading Co Prop. Mrs. Basiran Dayer;** 3, Bapna Complex, Gandhi Nagar, Bhilwara Rajasthan-311001 **(Proprietorship Firm)**<br>**2. Basiran Dayer W/o Mohammad Kasim Dayer (Proprietor/ Mortgagor),** 49/736 Naksh Bandiya Manjil Makka Masjid Ke Pass, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001.<br>**3. Mohd Rafiq Dyer S/o Mohammad Kasim Dayer (Guarantor/ Mortgagor);** 49/736 Naksh Bandiya Manjil Makka Masjid Ke Pass, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001.<br>**4. Naseem Bano Dayer W/o Mohammad Aarif Dayer (Guarantor)** 49/736 Naksh Bandiya Manjil Makka Masjid Ke Pass, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001.<br>**5. Rafiya Dyer W/o Mohammad Rafiq Dayer (Guarantor),** 49/736 Naksh Bandiya Manjil Makka Masjid Ke Pass, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001.<br>**6. Mohammed Arif Dyer S/o Mohammad Kasim Dayer (Guarantor/ Mortgagor);** 49/736 Naksh Bandiya Manjil Makka Masjid Ke Pass, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001 | **As on 04-07-2025: Rs. 1,77,47,005.95** (Rupees One Crore Seventy Seven Lakh Forty Seven Thousand and Five and ninety Five Paisa Only) + further interest & other expenses thereon. | 1. Commercial Shop situated at Ground Floor Shop No. B-2, Padma Shree Complex (Bapna Complex), Gadri Khera, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan-311001. Area-584 Sq ft. Boundaries:- North-Corridor of Complex, South-Land below Real Estate Shop No. B/1, West-Land below Road. Owned By- Mohd Rafiq Dyer.<br>2. Commercial Shop situated at Ground Floor Shop No. G-5, Padma Shree Complex (Bapna Complex), Gadri Khera, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan-311001. Area-247.25 Sq ft. Boundaries-North-Shop No. G-6, South-Stair/Shop No. G-5, East Shop No. G-11, West-Road. Owned By- Mohd Rafiq Dyer.<br>3. Commercial Shop situated at Ground Floor Shop No. G-6,Padma Shree Complex (Bapna Complex), Gadri Khera, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan- 311001. Area-247.25 Sq ft. Boundaries:- North-Corridor & Staircase of Apartment, South- Shop No. G-5, East- Shop No. G-11, West-Road & Entrance to Property. Owned By- Mrs. Basiran Dayer<br>4. Commercial Shop situated at Ground Floor Shop No. G-11,Padma Shree Complex (Bapna Complex), Gadri Khera, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan-311001. Area- 260.26 Sq ft. Boundaries:- North Corridor of Apartment, South-Shop No. G-1 and G-2, East- Staircase & Toilet, West-Shop No. G-6 and G-5 Owned By- Mohd Rafiq Dyer. | 1. **Rs. 2397441.47** (Twenty Three Lakh Ninety Seven Thousand Four Hundred Forty One Rupees And Forty Seven Paise Only)<br>**Rs. 239744.14** (Two Lakh Thirty Nine Thousand Seven Hundred Forty Four Rupees And Fourteen Paise Only)<br>2. **Rs. 3956000/-** (Thirty Nine Lakh Fifty Six Thousand Rupees Only)<br>**Rs. 395600/-** (Three Lakh Ninety Five Thousand Six Hundred Rupees Only)<br>3. **Rs. 3956000/-** (Thirty Nine Lakh Fifty Six Thousand Rupees Only)<br>**Rs. 395600/-** (Three Lakh Ninety Five Thousand Six Hundred Rupees Only)<br>4. **Rs. 3384810/-** (Thirty Three Lakh Eighty Four Thousand Eight Hundred Ten Rupees Only)<br>**Rs. 338481/-** (Three Lakh Thirty Eight Thousand Four Hundred Eighty One Rupees Only) | EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited in E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (E-bkray) portal directly or by generating the Challan therein to deposit the EMD through RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan<br>**Bid Multiple Amount Rs. 10,000/-**<br>**Last date of deposit of EMD: before the start of e-Auction on 07.08.2025** | **07.08.2025 12.00 PM 01.00 PM (with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale.**<br>**Property Inspection on or before 07.08.2025 before the close of E-Auction** |

**Other Terms & Conditions: 1.** The property will be sold in **"as is where is and as is what is and whatever there is"** basis including encumbrances, if any. There is no encumbrance to the knowledge of the bank., **2.** The asset will not be sold below the Reserve Price. **3.** Auction / bidding shall be only by "Online Electronic Bidding" through the website **https://baanknet.com** **4.** The contact details of the service provider **M/s PSB Alliance (https://baanknet.com/)** on **Helpdesk No. 8291220220** and e-mail ID: **support.baanknet@psballiance.com / support.ebkray@procure247.com. 5. EMD amount of 10% of the Reserve Price** is to be deposited in **E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (https://baanknet.com/) portal directly** or by generating the **Challan therein to deposit the EMD** through **RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan. 6.** The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance 75% within 15 days from the date of confirmation of sale. If the successful bidder fails to pay the sale price as stated above, the deposit made by him shall be forfeited. **7.** All charges for conveyance, stamp duty and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. **8.** The borrower/guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the property will be auctioned/sold and proceeds will be adjusted towards outstanding dues of the bank and recovery process will continue for remaining outstanding liability. **9.** For further details contact respective branches & service provider on their number & email id. **10.** For Sale proceeds above **Rs. 50 Lacs (Rupees Fifty Lacs)**, TDS shall be payable at the rate 1% of the sale amount, which shall be payable separately by the successful buyer. **11.** Authorised Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof. **12.** In case, no bid is received during the scheduled e-auction for the afore mentioned properties, the Bank shall at its discretion may sale the said properties through private treaty as per the provisions of the SARFAESI Act and no further notice shall be issued by the Bank for the same. **This publication of e-auction notice is made for the general public to participate in e-auction and is also an advance notice to the Borrowers/ Partners/ Guarantors/ Mortgagors/ Directors pertaining to the above mentioned accounts in terms of the stipulated provision of the SARFAESI Act."**

**Date: 06.07.2025 Place: Bhilwara** **AUTHORISED OFFICER, CANARA BANK**

## ansal BUILDWELL LTD.

CIN No. : L45201DL1983PLC017225
**Regd. Office :** 118, Upper First Floor, Prakash Deep, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001
**Ph. :** +91-11-23353051, 23353052, **E-mail :** info@ansalabl.com, **Website :** www.ansalabl.com

### NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Rules, 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) to the extent applicable read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, and General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars") (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time), and pursuant to other applicable laws and regulations that the Ordinary Resolution set out in the Postal Ballot Notice dated 29/05/2025 are proposed to be passed by Shareholders/ Members through Postal Ballot by voting through electronic means (remote e-voting).

In line with the aforesaid MCA Circulars, Postal Ballot Notice together with Explanatory Statement and Instructions for remote e-voting has been sent to the Members of the Company through electronic mode whose e-mail ID(s) are registered with the Depository Participant (DP) or R&TA only. The same is also hosted on the website(s) of the Company at **www.ansalabl.com**, Stock Exchanges i.e. BSE Limited at **www.bseindia.com** and remote e-voting agency M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. "Registrar" "RTA" or 'Link Intime at **https://instavote.linkintime.co.in.**

The Company has engaged the services of M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. at https://instavote.linkintime.co.in to provide the remote e-voting facility. The remote e-voting period commences on **Sunday, 6th July, 2025** (9.00 a.m. (IST) and ends on **Monday, 4th August, 2025** (5.00 p.m.) (IST). The remote e-voting module shall be disabled by M/s MUFG Intime India Pvt. Ltd. for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. During this period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **Thursday, 3rd July, 2025**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

**Manner of registering/updating email address:**

(1) For members holding shares in Physical mode, please provide necessary details like Folio No., name of member alongwith scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **neeraj.jain@in.mpms.mufg.com** Or contact on 022-49186000.

(2). Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant(s).

Shri Surrinder Kishore Kapahi, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 1407, CP No. 1118) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Postal Ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner.

The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before **6th August, 2025** and shall be available on the Company's website at **www.ansalabl.com** and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at **https://www.bseindia.com** and on the website of the Registrar at **https://instavote.linkintime.co.in** and on the Notice Board at the Registered Office of the Company.

If you have any queries or issues regarding e-voting from the Registrar e-voting system, you can write an email to the Registrar at **https://instavote.linkintime.co.in** or contact at 022-23058738 or 022-23058542/43.

**For Ansal Buildwell Ltd.**
**sd/-**
**(Ashok Babu)**
**Sr. V.P. & Company Secretary**
**FCS No. : 2328**

Place : New Delhi
Date : 29th May.2025

## BHAGAWATI GAS LIMITED

**Registered Office:** Banwas, Khetri Nagar-333504, Dist.-Jhunjhunu, Rajasthan
**Corporate Office:** S-492/A, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 **E-Mail ID:** bhagwatigases@gmail.com ;
**CIN:** U24111RJ1974PLC005789 **Website:** www.bglgroup.in **Ph. No. :** 91-11-49120719

**Extract of Statement of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2025**

(₹ in Lacs except figures of EPS)

| Sl. No. | Particulars | Quarter ended 31.03.2025 (Audited) | Quarter ended 31.03.2024 (Audited) | Year Ended 31.03.2025 (Audited) | Year Ended 31.03.2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Total Income from operations | 37.07 | 30.37 | 435.62 | 142.22 |
| 2. | Net profit/(Loss) for the period before tax (after depreciation, Exceptional and/or Extraordinary items) | (63.66) | 8.81 | 88.08 | 9.79 |
| 3. | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (137.50) | (22.99) | 14.24 | (22.01) |
| 4. | Total comprehensive income for the period (Comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) | (132.42) | (18.90) | 17.31 | (17.92) |
| 5. | Paid up Equity Share Capital (face value Rs. 10/- each) | 1,674.25 | 1,674.25 | 1,674.25 | 1,674.25 |
| 6. | Reserve excluding revaluation reserves | | | (205.23) | (222.54) |
| 7. | Earnings per share (EPS): 1. Basic: 2. Diluted: | (0.80) | (0.11) | 0.10 | (0.11) |

**Notes:**

1. The above Standalone financial results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director in their respective meetings held on Friday, July 04, 2025 and the Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of the aforesaid Results.
2. The above extract of the detailed format of financial results for the Quarter and year ended March 31, 2025 filled with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) regulations 2015. The full format of financial results are available on the website of the company i.e. **www.bglgroup.in**.
3. Figures for the quarter ended 31 March 2025 and 31 March 2024 are balancing figures between audited figures for the financial year ended March 31, 2025 and March 31, 2024 and published year to date figures upto third quarter of the respective financial year.

**For Bhagawati Gas Limited**
Sd/-
**Rakesh Samrat Bhardwaj**
(Managing Director)
DIN: 00029757

Place: New Delhi
Date: 04.07.2025

## IDFC FIRST Bank Limited

**(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)**
**CIN : L65110TN2014PLC097792**
**Registered Office: -** KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

**Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002**

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** The loans of the below-mentioned borrowers and co- borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

| Sr No. | Loan Account No. | Type of Loan | Section 13 (2) Notice Date | Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92694145 | LOAN AGAINST PROPERTY | 26.03.2025 | 5,82,002.89/- |

**NAME OF BORROWERS AND CO-BORROWERS :** 1. MAINPAL BRIJ 2.GAYATRI DEVI

**PROPERTY ADDRESS :** ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY PLOT/HOUSE UID NO. 619370304, HAVING AREA OF 99.767 SQ. MTRS. SITUATED AT VILLAGE: KHETAWAS, TEHSIL: MATANHAIL, DISTRICT: JHAJJAR, HARYANA-124109, AND **BOUNDED AS: EAST: STREET 10.6 FEET, 25 FT. 9 INCH, WEST: HOUSE OF KARMBIR, 21 FT. 9 INCH, NORTH: HOUSE OF RAJBIR S/O SULTAN, 45 FT. 9 INCH, SOUTH: HOUSE OF RANDHIR, 47 FT. 6 INCH.**

You are hereby called upon to pay the amounts to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)** as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited).** Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

**Sd/- Authorized Officer**
**Date : 06.07.2025** **IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with**
**Place :JHAJJAR** **IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)**

# श्री सीमेंट प्लांट की वादाखिलाफी से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन

**'छत्तीसगढ़' संवाददाता**

**बलौदाबाजार,** 5 जुलाई। सिमगा विकासखंड के ग्राम पंचायत चंडी में शुक्रवार को श्री सीमेंट प्लांट खपराडीह की वादाखिलाफी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में हुई बैठक में 15 दिन के भीतर मांगें पूरी करने का आश्वासन कंपनी द्वारा दिया गया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज है। रोजगार देने की प्रमुख मांग सहित सात बिंदुओं पर ग्रामीणों का यह धरना प्रदर्शन चल रहा है।

दरअसल, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता, अधिग्रहीत आदिवासी भूमि का पुन: पंजीयन, जलाशय क्षेत्र में हुए अतिक्रमण की जांच, विस्थापित परिवारों को रोजगार, ट्रक यार्ड और सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि की वापसी और ग्राम विकास फंड की राशि का उपयोग जैसे मुद्दों पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया है।

इस प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन के तरफ एसडीएम सिमगा अंशुल वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह की मौजूदगी में श्री सीमेंट प्लांट प्रबंधन और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई।

ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि कंपनी ग्राम विकास को लेकर कोई काम नहीं कर रही है। विकास ठप पड़े है, गांव के युवा बेरोजगार है। बांध पर अतिक्रमण कर रहे हैं, साथ ही पानी की समस्या भी है. शासकीय जमीन पर यार्ड बनाये गए हैं, सौर पैनलों की जगह पर कब्जा किया है. साथ ही प्रशासन भी इन समस्याओं पर आज तक कोई ध्यान नही दे रही है।

नवनिर्वाचित सरपंच सत्यभामा विनोद बंछोर ने बताया कि कंपनी को स्थापित हुए 15 वर्ष हो चुके हैं लेकिन ग्राम चंडी का कोई विकास नहीं हुआ है. वहीं शासकीय भूमि पर कंपनी ने कब्जा कर लिया है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

# पत्नी की हत्या, गिरफ्तार

**'छत्तीसगढ़' संवाददाता**

**रायगढ़,** 5 जुलाई। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए रिमांड पर भेजा है। घटना की जानकारी के अनुसार 02 जुलाई को थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव को सूचना मिली कि ग्राम कौहाडाही निवासी रूही बाई उर्फ रोनही कोरवा (40 वर्ष) की उसके पति बीरू कोरवा (45 वर्ष) ने हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

मृतिका के 19 वर्षीय पुत्र शंकर कोरवा ने पुलिस को बताया कि 01 जुलाई की रात उसके माता-पिता ग्राम इंचपारा चावल खरीदने गए थे। वापस लौटते समय रास्ते में लोटान के पास किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान उसके पिता बीरू कोरवा ने रूही उर्फ रोनही कोरवा पर पत्थर एवं डंडे से हमला कर दिया और जमीन में पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

शंकर कोरवा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान आरोपी बीरू कोरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा एवं पत्थर बरामद कर लिए।

थाना प्रभारी इगेश्वर यादव के नेतृत्व में की गई त्वरित कार्रवाई के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है।

## उपभोक्ता आयोग ने दिलाई मोबाइल की क्षतिपूर्ति राशि

बलौदाबाजार,5 जुलाई। विक्रेता के द्वारा पूर्व में बिक्री हुये मोबाईल को उपभोक्ता को विक्रय किया और खराब होने पर अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने विक्रेता को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए नया मोबाईल अथवा मोबाईल की कीमत 15,000 एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक कृष्णाचरण पटेल द्वारा मोबाईल दुकान से मोबाईल एक वर्ष की वारंटी अवधि में 15,000 में क्रय किया।वारंटी समय अवधि में मोबाईल का डिस्प्ले बंद हो गया। सुधार हेतु दिये जाने पर दुकानदार ने वीवो सर्विस सेंटर भेजकर बनवाकर देने की बात कही जहां पूर्व से मोबाईल खुला होना एवं वारंटी सेवा शर्तों का उल्लंघन होना बताया गया।

# गंदगी फैलाने व अतिक्रमण पर निगम की सख्ती, जुर्माना

**'छत्तीसगढ़' संवाददाता**

**रायगढ़,** 5 जुलाई। नगर निगम कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय ने शुक्रवार सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और नालों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।

रामनिवास टॉकीज चौक पर एक जूस दुकान द्वारा नाले के ऊपर अतिक्रमण कर सामान बिक्री करने पर पहले दी गई चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर संचालक पर 1000 का जुर्माना किया गया। इसी तरह तुलसी होटल द्वारा बाहर कचरा फेंकने के कारण गंदगी फैलाने पर 1000 का जुर्माना लगाया गया।

उर्दना बस्ती स्थित मेनता इंटरप्राइजेज द्वारा सड़क पर सामान रखकर दुकानदारी करने पर नागरिकों की शिकायत पर 10 हजार का जुर्माना किया गया। संचालक को दुकान के भीतर ही व्यवसाय सीमित रखने की हिदायत दी गई। कमिश्नर ने सभी सफाई दरोगाओं को निर्देशित किया है कि नालों पर अतिक्रमण की स्थिति में तत्काल तोड़फोड़ और जुर्माने की कार्रवाई की जाए। नगर निगम की टीम लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर रही है और लोगों को नालों से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दे रही है।

केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड स्थित सब्जी और मटन मार्केट में दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान फैलाकर व्यवसाय करने की शिकायत पर निगम की अतिक्रमण निवारण टीम ने दुकान क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6 को व्यवस्थित कराया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि आगे से बाहर सामान रखने पर जब्ती और जुर्माना दोनों की कार्रवाई की जाएगी। मटन मार्केट में मांस, मछली और चिकन के अवशेष खुले में या नाली में फेंकने से रोकने के लिए व्यवसायियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे यह कचरा मान्यता प्राप्त एजेंसी को ही सौंपें। टीम ने प्रत्येक दुकान में जाकर साफ-सफाई बनाए रखने और ग्राहकों की सुविधा को प्राथमिकता देने की समझाइश भी दी।

# जुड़वास पर निकाली शोभायात्रा

## दुकालू यादव ने दी शानदार प्रस्तुति

**'छत्तीसगढ़' संवाददाता**

**नवापारा-राजिम,** 5 जुलाई। नवापारा शहर में बाबा हरदेवलाल मां शीतला सेवा समिति द्वारा माता जुड़वास कार्यक्रम भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।

श्री गोपाल गौशाला एवं राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरधारी अग्रवाल, रूपेंद्र चंद्राकर मुख्य सलाहकार शीतला समिति ने दीप प्रज्ज्वलित कर शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया।

जुड़वास कार्यक्रम के अवसर पर शहर में पहली बार जसगीत सम्राट दुकालू यादव द्वारा रोड शो के माध्यम से जस गीत की शानदार प्रस्तुति हुई।

शोभायात्रा माता शीतला से प्रारंभ होकर काली मंदिर, सुभाष चौक, सदर रोड, इंदिरा मार्केट, गंज रोड, नगर पालिका, तर्री रोड गायत्री मंदिर, नरसिंह नाथ मंदिर होते हुए पुन: शीतला माता मंदिर पर समाप्त हुई। इसके बाद भक्तों के लिए शीतला मंदिर प्रांगण में भंडारा एवं भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया था। शोभायात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर विभिन्न संगठनों, समितियों एवं भक्तों द्वारा माता जी का स्वागत जलपान, चाय एवं बिस्किट की व्यवस्था की गई थी। शीतल समिति के मुख्य सलाहकार रूपेंद्र चंद्राकर ने सभी भक्तों, दानदाताओं, समिति के सभी सदस्यों एवं सहयोगियों तथा सभी नगरवासियों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

जानकारी के अनुसार जुड़वास कार्यक्रम आषाढ़ माह में किसानी कार्यों के प्रारंभिक दिनों में बेहतर कृषि कार्य, नगरवासियों के अच्छे सेहत, मवेशियों को लगने वाले विभिन्ना रोगों, बाह्य शक्तियों से बचाने देवी माता शीतला जुड़वास का आराधना करके नगर के सीमाओं को दैवीय शक्ति से सुरक्षित रखने के लिए मनाया जाता है। उत्सव को लेकर शीतला मंदिर व प्रागंण को भव्य रूप से सजाया गया था। मंदिर को रंग-बिरंगे रौशनी से जगमगाया गया।

इस अवसर पर पूरनलाल साहू अध्यक्ष, महेश निषाद उपाध्यक्ष, बिसाहू राम साहू संरक्षक, शिवदयाल साहू, ईश्वर साहू सचिव, पुनारद साहू, देवेन्द्र साहू, नवल साहू, मनोज विश्वकर्मा, मुकुंद मेश्राम, देवेन्द्र गुड्डु सेन, धर्म साहू, रोहित सेन, कमलेश जगने एवं समस्त समिति सदस्य उपस्थित थे।

# नीचे चोरी, जांच में ऊपर मिला चोरी का सामान

**'छत्तीसगढ़' संवाददाता**

**रायगढ़,** 5 जुलाई। थाना कोतवाली क्षेत्र के दानीपारा में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार का पूरा चोरी गया सामान बरामद कर लिया है। इस कार्यवाही के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।

मामले की जानकारी अनुसार 3 जुलाई को थाना कोतवाली अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 दानीपारा निवासी पवन बेरिवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी रितिका बेरिवाल और बेटों गौरव एवं सौरव के साथ निवास करता है। 02 जुलाई को वह अपने पुत्र गौरव के साथ रोजाना की तरह हार्डवेयर दुकान चला गया था। रात करीब 9.40 बजे जब वह घर लौटा और खाना खाकर सो गया, तो सब कुछ सामान्य था।

अगली सुबह 03 जुलाई को जब उन्होंने घर का स्टोर रूम खोला, तो देखा कि दरवाजे की सांकल में लगा ताला टूटा हुआ है और कमरे में रखा कत्था रंग का बैग नीचे गिरा पड़ा है। पत्नी रितिका बेरिवाल ने बैग खोलकर देखा तो उसमें रखे गए 2 नग सोने के कड़े, 4 नग सोने की चूड़ी और 2 नग सोने की चेन गायब थे।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल को घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और अपने थाने के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल की बारीकी से जांच की और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 305, 331(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया।

मौके की बारीकी से छानबीन करने पर चोरी गया पूरा सामान घर पर उपर के कमरे में पुलिस को मिल गया, जिससे पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

### गणित का चौराहा - 5750

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 4 | - | 8 | -9 |
| - | ■ | + | ■ | - | |
| 6 | + | 1 | - | 9 | -2 |
| ÷ | ■ | - | ■ | + | |
| 2 | + | 7 | + | 5 | 14 |
| 0 | | -2 | | 4 | |

### सुडोकू- 6830 का हल (E)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 |
| 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |

### मिनी सुडोकू-5691 का हल

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |

# मेडिकल फर्जीवाड़ा, फोरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे जांच

**'छत्तीसगढ़' संवाददाता**

**कवर्धा,** 5 जुलाई। जिला अस्पताल कवर्धा में घटित बहुचर्चित मेडिकल फर्जीवाड़ा मामले में नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जॉय की शिकायत पर पुलिस थाना कवर्धा में एफआईआर पंजीबद्ध है। उक्त एफआईआर में सीएमएचओ ने डॉ. प्रभात चन्द्र प्रभाकर और दीपक सिंह ठाकुर की अन्यत्र ट्रांसफर की उचित कार्रवाई करने की जानकारी दी है। जिसमें डॉ. प्रभाकर को जिला अस्पताल कवर्धा से पेंड्रा सीएमएचओ बनाया गया था। तीन माह बाद पद से हटाकर मुंगेली वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी बनाया गया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षकों के सर्टिफिकेट में फर्जी लिखावट और हस्ताक्षर की जांच के लिए कवर्धा पुलिस ने मामले के संदेहियों के हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर का नमूना फोरेंसिक एक्सस्पर्ट को भेजी है।

मामले में स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में बोर्ड के लिपिक दीपक सिंह ठाकुर को दोषी ठहराया गया। स्वास्थ्य संचालक ने दीपक सिंह ठाकुर को निलंबित करके विभागीय जांच करने और पुलिस

थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने आदेश दिया है। सीएमएचओ ने दीपक सिंह ठाकुर को निलंबित करके विभागीय जांच संस्थित किया है। सीएमएचओ ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

**जाने क्या है मामला**

जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से पुलिस विभाग के कलर ब्लाइंड से अनफिट बर्खास्त दो नव आरक्षकों को, झूठी नेत्र जांच कलर विजन नार्मल रिपोर्ट लिखकर नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जॉय का फर्जी हस्ताक्षर करके फिट मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया है।

**निलम्बन से बहाली और विभागीय जांच अब हाईकोर्ट के अधीन**

दीपक सिंह ठाकुर ने अपने निलम्बन और विभागीय जांच को खारिज करने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है। उच्च न्यायालय ने निलम्बन या बहाली के लिए कोई निर्णय नहीं दिया है। विभागीय जांच में स्थगन आदेश दिया है। ऐसे में दीपक सिह ठाकुर को अपनी सेवा बहाली के लिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार है।

## विनोद को पालिकाध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि

**बलौदाबाजार,** 5 जुलाई। पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 08 निवासी विनोद पटेल के निधन पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए निवास स्थान पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। विनोद पटेल का विगत दिनों निधन हो गया था, वे पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष पटेल एवं पार्षद सतीश पटेल के चचेरे भाई थे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन सहित उपाध्यक्ष जितेंद्र महले, पार्षद कन्हैया सेन,जितेंद्र डड़सेना, हरजीत सिंह सलूजा, आदित्य गुप्ता, शेखर गुप्ता, सहित समाज व परिवार के लोग उपस्थित थे।

## बाइकें भिड़ीं, 2 जखमी

**सारंगढ़-बिलाईगढ़,** 5 जुलाई। जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर बंजारी और गुड़ेली के बीच शुक्रवार की शाम दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों घायलों को चंद्रपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

हादसे में घायल एक युवक की पहचान कपिसदा निवासी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे बाइक सवार की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

## ठगिया बाई चंद्राकर का निधन

**दुर्ग,** 5 जुलाई। सुनील न्यूज एजेंसी दुर्ग के संचालक स्व. भूवन लाल चंद्राकर की माता बैगापारा निवासी वर्तमान में गिरधार नगर में निवासरत ठगिया बाई चंद्राकर (96 वर्ष) का 4 जुलाई को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार हरनाबांधा मुक्तिधाम में किया गया। वे जीवन लाल, पूरनलाल, तोरण लाल, किशन लाल चंद्राकर की माता थीं तथा सुनील, संजय, देवेंद्र, मनोज, रामानुज, जयप्रकाश, ओमप्रकाश, दीपक की दादी थी।


## कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई ( छ.ग. )

### निविदा सूचना

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-1/2025/356/120 भिलाई, दिनांक 03.07.2025

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निमार्ण कार्य हेतु ऑफलाईन (Ofline) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

| क्र. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत | आवेदन दिनांक | निविदा जमा करने तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शासकीय हाई स्कूल कृष्णा नगर भिलाई में कला एवं सांस्कृतिक कक्ष निर्माण कार्य। | 6.96 | 18.07.2025 | 25.07.2025 |
| 2 | शासकीय हाई स्कूल जुनवानी भिलाई में कम्प्यूटर कक्ष निर्माण कार्य। | 6.96 | 18.07.2025 | 25.07.2025 |
| 3 | पार्षद निधि से वार्ड-01 खम्हरिया जुनवानी के विभिन्न स्थानों पर नाली एवं नवीन सीमेंटीकरण कार्य। | 5.98 | 18.07.2025 | 25.07.2025 |
| 4 | वार्ड-04 नेहरू नगर भेलवा तालाब के विद्युतीकरण का संधारण कार्य। | 3.90 | 18.07.2025 | 25.07.2025 |
| 5 | वार्ड-07 राधिका नगर सियान सदन सार्वजनिक भवन का संधारण एवं नयी सुविधा की व्यवस्था कार्य। | 2.00 | 18.07.2025 | 25.07.2025 |
| 6 | वार्ड - 01 जुनवानी श्री रेसीडेन्सी से PMAY होते चौहान ग्रीनवेली फेस-02 तक पानी निकासी हेतु हयूम पाईप बिछाने का कार्य। | 1.99 | 18.07.2025 | 25.07.2025 |

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी uad.cg.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट www. bhilainagarnigam.com से डाउनलोड की जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन - 01



## कार्यालय अधीक्षण अभियंता
## लोक निर्माण विभाग रायपुर मण्डल क्रमांक-2 ( छत्तीसगढ़ )

### ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना
### ( प्रथम आमंत्रण )

दिनांक 03.07.2025

निम्नांकित कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा ''डी'' श्रेणी के ठेकेदारों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 22.07.2025 है।

| एन.आई.टी. क्र. निविदा क्र. | कार्य का नाम/ | कार्य का अनुमानित लागत ( लाख में ) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| NIT NO. 113 Tender No. 171444 | भाटापारा अनुविभाग अंतर्गत रोहरा रिंगनी केसदा बिलाड़ी मार्ग लं. 26.00 कि.मी. (वास्तविक लंबाई 24.90 कि.मी.) का रोड फर्नीचर कार्य। | रु. 89.00 लाख |
| NIT NO. 114 Tender No. 171445 | जिला धमतरी के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन कुरूद रेनोवेशन एवं डोम कार्य। | रु. 66.63 लाख |
| NIT NO. 115 Tender No. 171446 | जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर कुरूद जिला धमतरी में चार दिवारी का मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ाने का कार्य। (जमा मद कार्य) | रु. 19.37 लाख |
| NIT NO. 116 Tender No. 171447 | जिला गरियाबंद के अनुविभाग क्रमांक 01 गरियाबंद के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय गरियाबंद के न्यायिक अधिकारियों हेतु 02 नग डी-टाईप शासकीय आवासगृह का निर्माण कार्य। | रु. 140.05 लाख |
| NIT NO. 117 Tender No. 171448 | जिला गरियाबंद के विकासखण्ड राजिम अंतर्गत शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम में स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण कार्य। | रु. 60.00 लाख |
| NIT NO. 118 Tender No. 171532 | जिला धमतरी के राजनांदगॉव गुण्डरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोरई मार्ग (राज्य मार्ग क्र.-23) के किमी 98/10 पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नवीन पुलिया का निर्माण कार्य | रु. 76.86 लाख |

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट बेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है । (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र , बिडकेपेसीटी उपलब्धता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा, एवं निविदाकारो द्वारा प्रेषित मूल अभिलेख का लिफाफा में निविदाकारो का मोबाईल न. एवं इमेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रुप से करें।

अधीक्षण अभियंता
जी-252601997/2 लो.नि.वि. रायपुर मण्डल क्र. 2 ( छ.ग. )


## Name, Fame and Game-5750 Solution

अगर आप कुछ नाम ढूंढ न पाए हों तो यहां दिए गए उत्तरों की मदद लें। नामों को आड़ी और खड़ी कतारों के नंबर व उनकी दिशा के आधार पर ढूंढें

(Over,Down,Direction)

Aligarh
Amravati
Bareily
Bhilai
Bhiwandi
Bikaner
Cuttack
Dehradun
Durgapur
Guntur
Gurgaon
Jalandhar
Kochi
Kolhapur
Mysore
Nanded
Nellore
Noida
Rourkela
Solapur
W arangal


## नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - गांव दगोरी, तहसील-बेल्हा, जिला:बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ )
ईमेल : rai_nis12007@yahoo.com, वेबसाइट : www.novaironsteel.com
(CIN: L02710CT1989PLC010052) फोन : 07752-285225-26, फैक्स : 07752-285213

**31.03.2025 को समाप्त तिमाही और समाप्ति वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों से उद्धरण रु. ( लाखों में )**

| सं. क्र. | विवरण | समाप्त तिमाही | वर्ष-दर-वर्ष आंकड़े | पिछले वर्ष में समाप्त हुए संगत 3 महीने |
|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| 1. | परिचालन से कुल आय | 9510.51 | 41984.92 | 14445.62 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण आईटम) | -1123.12 | -1833.92 | -3565.76 |
| 3. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) कर से पहले (कर के बाद) असाधारण और/या असाधारण आईटम) | 14883.19 | 13974.44 | -10110.32 |
| 4. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) कर के बाद (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद) | 15787.96 | 14879.21 | -6804.79 |
| 5. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] | 15802.66 | 14893.91 | -6810.93 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 3613.95 | 3613.95 | 3613.95 |
| 7. | रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है | -4743.92 | -4743.92 | -19637.83 |
| 8. | प्रति शेयर आय (10/- रुपये प्रत्येक)(जारी और बंद परिचालन के लिए)- 1. मूल और पतला | 43.69 | 41.17 | -18.83 |

**नोट :** उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज और सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। (www.bseindia.com और www.novaironsteel.com)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.07.2025

निदेशक मंडल की ओर से
नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड के लिए
Sd/- ( दिनेश कुमार यादव )
पूर्णकालिक निदेशक
DIN 07051856

## नहर में गिरा वाहन, किशोर की मौत

चंडीगढ़, 5 जुलाई (ब्यूरो)।

गढ़शंकर-कोट फतुही सड़क मार्ग पर 25 प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे एक पिकअप वाहन के नहर में गिरने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को कहा कि शुक्रवार रात को पिकअप वाहन रावलपिंडी मोड़ के पास बिस्त दोआब नहर में गिर गया। इस दुर्घटना में बदायूं निवासी आकाश की मौके पर ही मौत हो गई।

**पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**
(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट कार्यालय: वीपीओ घुंगराना, मलेरकोटला रोड, टोल प्लाजा के पास, लुधियाना-141204

**सार्वजनिक सूचना**

अहमदगढ़ में एमएमएलपी रखने वाली पीएलआईएल, लंबित भूमि पंजीकरण के संबंध में यह सार्वजनिक सूचना जारी करती है।
यह भूमि सरकारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.70/सी.ए.1/1894/एस.4/2013 दिनांक 23.08.2013 के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी। कुछ भूमि भूखंडों की रजिस्ट्री लंबित है, जिनका विवरण हमारी **वेबसाइट www.plil.co.in** पर उपलब्ध है।
जिन लोगों की भूमि भूखंडों की रजिस्ट्री लंबित है, उनसे अनुरोध है कि वे पीएलआईएल कार्यालय में संपर्क करें।

**नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.**
पंजी. कार्या: गांव-डागौरी, तहसील बेल्हा, जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
ई-मेल: rai_nisl2007@yahoo.com वेबसाइट: www.novaironsteel.com
(CIN:L02710CT1989PLC010052) फोन: 07752-285225-26,
फैक्स: 07752-285213

**दिनांक 31.03.2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार**

लाख रु. में

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही | साल दर साल आकड़े | पूर्व वर्ष में समाप्त अनुरूप तिमाही |
|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| 1. | प्रचालनों से कुल आय | 9510.51 | 41984.92 | 14445.62 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व) | -1123.12 | -1833.92 | -3565.76 |
| 3. | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) | 14883.19 | 13974.44 | -10110.32 |
| 4. | कर के बाद अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि)(विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) | 15787.96 | 14879.21 | -6804.79 |
| 5. | अवधि के दौरान कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके] | 15802.66 | 14893.91 | -6810.93 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 3613.95 | 3613.95 | 3613.95 |
| 7. | पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त) | -4743.92 | -4743.92 | -19637.83 |
| 8. | आय प्रति शेयर (10/-रु. प्रति) (जारी व बंद प्रचालनों हेतु): 1. मूल व तनुकृत | 43.69 | 41.17 | -18.83 |

**टिप्पणियां:** उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाइटों और सूचीबद्ध प्रविष्टि (www.bseindia.com और www.novaironsteel.com) पर उपलब्ध हैं।

निदेशकों के बोर्ड के आदेशानुसार
कृते नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड
हस्ता/- (दिनेश कुमार यादव)
पूर्ण कालिक निदेशक
DIN: 07051856

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.07.2025

# बेअदबी के लिए मौत की सजा पर विचार कर रही पंजाब सरकार

## विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में लिया जाएगा फैसला

चंडीगढ़, 5 जुलाई (ब्यूरो)।

*कानून की मांग के लिए पांच माह से मौन विरोध कर रहे गुरजीत सिंह खालसा*

सरकार द्वारा कानून लाने का फैसला समाना में गुरजीत सिंह खालसा के मौन विरोध से उपजा है, जो अक्तूबर-2024 से एक मोबाइल टावर के ऊपर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। वह बेअदबी के दोषी पाए जाने वालों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार उन्हें हर रोज भोजन और अन्य सामान उपलब्ध करा रही है। हालांकि, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। पुलिस उन्हें नीचे लाने में असमर्थ है क्योंकि किसी भी समय केवल एक ही व्यक्ति इन सीढ़ियों से चढ़ सकता है। मानसून में स्थिति और खराब होगी। उन्हें नीचे लाने के लिए कानून ही एकमात्र उम्मीद है।'

पंजाब सरकार बेअदबी के अपराधों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने वाला एक और कानून ला रही है और बेअदबी के दोषियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। यह फैसला दस और 11 जुलाई को होने वाले विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में लिया जाएगा।

सात साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार ने बेअदबी के अपराधों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने वाले दो विधेयक पारित किए थे, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। सरकार के सूत्रों ने बताया, 'हम एक कानून ला रहे हैं। हम इस बारे में कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या मौत की सजा कानूनी रूप से उचित है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सार्वजनिक संबोधनों में कई बार इन अपराधों के लिए मौत की सजा की वकालत की है। सरकार इस बारे में कानूनी राय ले रही है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। अन्यथा, हम आजीवन कारावास की सजा पर आगे बढ़ेंगे।'

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता नील गर्ग ने शनिवार को कहा कि सरकार बेअदबी के दोषियों के खिलाफ सख्त सजा के लिए एक ऐतिहासिक कानून लाएगी। उन्होंने कहा, 'हम दस और 11 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून लाएंगे। यह कानून केंद्र को लाना चाहिए था। हालांकि, आप सरकार इसे पंजाब में ला रही है क्योंकि वह राज्य के लोगों की भावनाओं को समझती है।'

सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने हाल ही में अमरिंदर के बेअदबी विधेयक को राज्य को लौटा दिया था और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से कानून बनाने को कहा था। पहले के विधेयक भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों को शामिल करने के बारे में थे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत, बेअदबी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य शामिल हैं, के लिए तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा है। विशेष रूप से, बीएनएस की धारा 299 किसी धर्म या उसकी मान्यताओं का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को संबोधित करती है। यह अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाने योग्य भी है।

पंजाब विधानसभा ने भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 और दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक 2018 पारित किया था, जिसमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबिल को चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया था। भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 ने धारा 295एए को सम्मिलित करके भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने की मांग की। मौजूदा धारा 295ए के तहत, एक दोषी को जुर्माने के साथ या उसके बिना अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा दी जाती है। यह धारा 295 आइपीसी (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत सजा को दो से बढ़ाकर दस साल की कैद करती है।

मुख्यमंत्री मान ने पिछले रविवार को अपने सरकारी आवास पर सर्व धर्म बेअदबी रोको कानून मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और यह वादा किया था कि राज्य सरकार धार्मिक ग्रंथों या धर्मग्रंथों की बेअदबी के कृत्यों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाएगी। बाद में उन्होंने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की थी। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने मुख्यमंत्री को बताया था कि अगर गुरजीत सिंह के साथ कुछ हुआ तो इससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि बेअदबी एक भावनात्मक मुद्दा है। अक्तूबर-2015 में शिअद-भाजपा सरकार के दौरान बरगाड़ी में बेअदबी का मुद्दा एक बड़ी कानून-व्यवस्था की स्थिति में बदल गया था।

### तख्त श्री पटना साहिब का आदेश

## निर्देशों की अनदेखी, सुखबीर सिंह बादल 'तनखैया' घोषित

चंडीगढ़, 5 जुलाई (ब्यूरो)।

बिहार स्थित तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदारों ने शनिवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को उनके समक्ष उपस्थित न होने और निर्देशों की अनदेखी करने के लिए 'तनखैया' (धार्मिक दंड का दोषी) घोषित किया। तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म की पांच प्रमुख धार्मिक तख्त में से एक है। अमृतसर में अकाल तख्त सर्वोच्च धार्मिक तख्त है।

पिछले साल अगस्त में अकाल तख्त ने बादल को 'तनखैया' घोषित किया था। उन्हें दिसंबर में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सरकार द्वारा 2007 से 2017 तक की गई 'गलतियों' के लिए धार्मिक सजा (तनखाह) दी गई थी। तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार और मुख्य ग्रंथी ज्ञानी बलदेव सिंह ने शनिवार को बिहार के पटना में बादल को 'तनखैया' घोषित करने का फैसला सुनाया। बलदेव सिंह ने कहा कि अकाल तख्त के जत्थेदार और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ने 21 मई को स्थापित मानदंडों, संविधान को चुनौती देकर और तख्त श्री पटना साहिब के अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप करके एक अनधिकृत और असंवैधानिक निर्णय जारी किया था। उन्होंने कहा, 'हमें इस पूरे घटनाक्रम में षड्यंत्रकारी के रूप में बादल संलिप्तता के बारे में जानकारी मिली थी। आपको अपना पक्ष रखने के लिए दो मौके दिए गए, लेकिन आप उपस्थित नहीं हुए।' निर्देश में कहा गया, 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के अनुरोध पर तीसरी बार 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन फिर भी आप उपस्थित नहीं हुए। इससे यह स्पष्ट है कि आप उपरोक्त घटनाक्रम में शामिल हैं।' निर्देश में कहा गया, 'सुखबीर सिंह बादल को तख्त श्री पटना साहिब के आदेशों की अनदेखी करने का दोषी पाए जाने पर 'तनखैया' घोषित किया जाता है।'

वर्तमान घटनाक्रम का आधार अकाल तख्त के 21 मई के निर्देश हैं, जिसमें तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार और मुख्य ग्रंथी ज्ञानी बलदेव सिंह तथा अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी गुरदयाल सिंह को पंथिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया था, जिसके कारण दोनों तख्तों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। तख्त श्री पटना साहिब ने जवाब में उसी दिन अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज और तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह को 'तनखैया' घोषित कर दिया था।

**पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड**
सीआइएन: L24231PB1975PLC047063
पंजी. कार्या.: 18, अंबाला-कालका रोड, गांव व डाकखाना भंकरपुर, डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब)- 140201, टेली: 01762-280086, 522250, फैक्स नं.: 01762-280070
ई-मेल: info@punjabchemicals.com, वेबसाइट: www.punjabchemicals.com

**उनचासवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने वाले सदस्यों के लिए सूचना, रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग पर जानकारी**

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की उनचासवीं वार्षिक आम बैठक ("49वीं एजीएम") **मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को सुबह 10:00 बजे,** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, कंपनी की एजीएम बुलाने की 30 अप्रैल, 2025 की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।
कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ, और 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पहले के परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। बैठक का अनुमानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, 49वीं एजीएम बुलाने की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के अनुसार भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को भी पत्र भेजे हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए एक वेब-लिंक और क्यूआर कोड प्रदान किया गया है।
ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **https://www.punjabchemicals.com/wp-content/uploads/2025/07/AnnualReport2024-25.pdf**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, लाभांश भुगतान के उद्देश्य से सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 18 जुलाई, 2025 होगी।
कंपनी अपने सदस्यों को, जो कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, उन्हें सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रत्येक आइटम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किए जा सकते हैं।
**सदस्य निम्नलिखित जानकारी नोट कर सकते हैं:-**

| | |
|---|---|
| ई-मेल द्वारा 49वीं एजीएम बुलाने की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट भेजने की समाप्ति की तिथि। | शनिवार, 5 जुलाई, 2025 |
| 49वीं एजीएम के दौरान रिमोट वोटिंग [या] ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि। | मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 |
| रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत। | गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) |
| रिमोट ई-वोटिंग का समापन/ जिसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। | सोमवार, 28 जुलाई, 2025 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) |

सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उपर्युक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने 49वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 49वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन 49वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। 49वीं एजीएम में भाग लेने वाले और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे 49वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे।
डीमैट मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के निर्देश एजीएम बुलाने की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश भी एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
49वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके नाम डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में शुक्रवार, 27 जून, 2025 को कारोबारी समय की समाप्ति पर दिखाई देते हैं।
49वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **https://www.punjabchemicals.com**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर और सीडीएसएल की वेबसाइट **https://www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।
कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को शेयर रखता है, वह **investorhelp@punjabchemicals.com** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है। श्री पी.एस. दुआ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, (सदस्यता संख्या 4552, सीओपी संख्या 3934), को एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग की जांच करने के लिए बोर्ड द्वारा स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है।
केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 49वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/भाग लेने और 49वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप **www.evotingindia.com** पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002109911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, सीडीएसएल, ए, विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 को संबोधित की जा सकती हैं या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल भेज सकते हैं या 18002109911 पर कॉल कर सकते हैं।
लाभांश का भुगतान 49वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।

कृते पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड
ह./- रिशू चेटली
कंपनी सचिव

स्थान: डेराबस्सी
दिनांक: 5 जुलाई, 2025

## 'एसवाईएल' पर हरियाणा व पंजाब की संयुक्त बैठक नौ जुलाई को

चंडीगढ़, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

पंजाब व हरियाणा के बीच वर्ष 1982 से चल रहे सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार अब दोनों राज्यों के बीच नौ जुलाई को संयुक्त बैठक करवाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नौ जुलाई को दिल्ली में यह बैठक बुला ली है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों तथा जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों के साथ भाग लेंगे। पंजाब और हरियाणा सरकार अपना-अपना पक्ष बैठक में रखने की तैयारी कर रही है।

इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत दोनों राज्यों में बैठक करवा चुके हैं। इस मामले में हरियाणा द्वारा डाली गई याचिका निर्णायक दौर में आ चुकी है। बैठक का उद्देश्य एसवाईएल के मसले को सुलझाना है ताकि दोनों राज्यों के बीच चला आ रहा पानी विवाद समाप्त हो सके। इससे पहले दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया है। मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने

हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम द्वारा पहले जल शक्ति मंत्री को इस मामले में मध्यस्थता करने के निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एसवाईएल के मुद्दे पर दोनों प्रदेशों की बैठक बुलाई है। 2004 के पंजाब के इस कानून को 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अटका हुआ है। अब 13 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय है। इस सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा दोनों राज्यों के अंतिम निर्णय को लेकर अपनी रपट सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। इस रपट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा।

## भाकियू ने सरकार से कथित किसान विरोधी नीति वापस लेने को कहा

चंडीगढ़, 5 जुलाई (ब्यूरो)।

*राजेवाल* ने कहा, पंजाब सरकार ने 'लैंड पूलिंग' नीति को उद्योगपतियों को जमीन सौंपने का जरिया बनाया है।

भारती किसान यूनियन (राजेवाल) ने शनिवार को पंजाब सरकार से 'लैंड पूलिंग' नीति के संबंध में जारी अधिसूचना वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार इस नीति के नाम पर एक लाख एकड़ कृषि भूमि हड़पने की योजना बना रही है। यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 'लैंड पूलिंग' नीति किसान विरोधी है और इसे उद्योगपतियों को जमीन सौंपने का जरिया बनाया गया है और किसान इसका कड़ा विरोध करेंगे।

चंडीगढ़ के किसान भवन में शनिवार को यूनियन ने बैठक की और पांच प्रस्ताव पारित किए। प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार को बताया गया कि अमेरिका के साथ किया जा रहा समझौता किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वे हर तरह के मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हैं, जिससे डेयरी, पोल्ट्री और खेती को बहुत नुकसान होगा। अगर केंद्र सरकार अमेरिका के साथ समझौता करती है और डेयरी, पोल्ट्री और कृषि क्षेत्र को उनके लिए खोलती है तो किसान इसका पुरजोर विरोध करेंगे। राजेवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पंजाब सरकार वहां नदी जल समझौतों की समीक्षा के लिए प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव को पारित करवाकर सभी नदी जल समझौतों की समीक्षा की जाए। इसके अलावा एक और प्रस्ताव पारित करके पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 से 80 को निरस्त किया जाए, क्योंकि वे धाराएं असंवैधानिक हैं और पंजाब के खिलाफ काम कर रही हैं।

राजेवाल ने कहा कि मार्कफेड किसानों को घटिया डीएपी की आपूर्ति करता रहा, जब उसके नमूने की जांच की गई तो वह फेल साबित हुए। इसी तरह अब किसानों को सुपर खाद दी गई है, जिसमें सिर्फ जिप्सम है और फास्फेट नहीं है। यह किसानों के साथ धोखा है। ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मामला दर्ज होना चाहिए।

**वसूली अधिकारी-I/II, का कार्यालय**
**ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)**
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित है)

**मांग सूचना**

ऋण की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना
आरसी/385/2023 05.06.2025

**केनरा बैंक**
**बनाम**
**मनीष धीमान एवं अन्य**

प्रति,
(सीडी 1) मनीष धीमान और अन्य।
राजिंदर सिंह पुत्र श्री राजिंदर सिंह निवासी मकान नंबर 54, हरमिलाप नगर, फेस-2, बलटाना, सास नगर, मोहाली, पंजाब। साहिबजादा अजीत सिंह नगर/मोहाली/अजीतगढ़, पंजाब।
(सीडी 2) शुभम धीमान पुत्र श्री राजिंदर सिंह निवासी मकान नंबर 54, हरमिलाप नगर, फेस 2 बलटाना सास नगर साहिबजादा अजीत सिंह नगर/मोहाली/अजीतगढ़, पंजाब -0
(सीडी 3) राकेश कुमार पुत्र श्री दर्शन लाल निवासी एससीएफ 54, प्रीत कॉलोनी, लोहगढ़ साहिबजादा अजीत सिंह नगर/मोहाली/अजीतगढ़, पंजाब -0
यह सूचित करने के लिए है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2) द्वारा पारित आदेश के अनुवर्ती जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार **ओए/1496/2022** में **2437754.79 रुपये (चौबीस लाख सैंतीस हजार सात सौ चौवन रुपये तथा उनासी पैसे मात्र)** जमा वसूली तक 10.08.2022 से पेंडेंटेलाइट और भविष्य का साधारण ब्याज @7% प्रति वर्ष और लागत 27005 **(केवल सत्ताईस हजार पांच रुपए)** रुपये आपके (संयुक्त और अलग-अलग/पूर्ण/सीमित) बकाया है।
2. एतद्द्वारा आपको उपरोक्त राशि को मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जमा करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर वित्तीय संस्थानों के देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार वसूली की जाएगीः-
3. आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।
4. आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 26.08.2025 को पूर्वाह्न 10.30 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगेः-
क) निष्पादन कार्यवाही/प्रमाणपत्र की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज में।
ख) इस नोटिस की तामील तथा वारंट्स और अन्य प्रक्रिया व सभी अन्य कार्यवाही के संबंध में किए गए सभी लागतें, प्रभार और खर्चे जो देय राशि की वसूली के लिए लिए जा सकते हैं।
मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 05.06.2025 को जारी किया गया।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

## सिद्धू मूसेवाला के हत्यारोपी के भाई की हत्या

चंडीगढ़, 5 जुलाई (ब्यूरो)।

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में की गई हत्या में कथित तौर पर संलिप्त शूटर जगरूप सिंह रूपा के छोटे भाई की शनिवार को तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि चानन के गांव में 26 वर्षीय जुगराज सिंह की दिनदहाड़े नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में बंबीहा गिरोह के होने का अंदेशा जताया जा रहा है।

अमृतसर (देहात) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह ने बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और दिनदहाड़े जुगराज को गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

## स्कूलों में डिजिटल उपकरणों की जांच करेंगे एचसीएस अधिकारी

चंडीगढ़, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

*अधिकारियों* को रपट बनाने के लिए जिले किए आबंटित। विभाग की बैठक में मंत्री के सामने उठा था मुद्दा।

हरियाणा के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को डिजिटल माध्यम से दी जा रही शिक्षा की जांच करने के लिए प्रदेश के एचसीएस अधिकारी अब फील्ड में दिखाई देंगे। सोमवार से प्रदेश के जिलों में यह अधिकारी विद्यालयों में चल रहे डिजिटल माध्यमों की जांच करेंगे।

हरियाणा सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी करके सात एचसीएस अधिकारियों को जिले आबंटित कर दिए हैं। यह मुद्दा हालही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में उठा था। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों में बच्चों को न केवल टैब दिए गए हैं, बल्कि डिजिटल पट्ट (बोर्ड) भी आबंटित किए गए हैं। आए दिन इन बोर्ड के सही काम नहीं करने तथा विद्यार्थियों को दिए गए टैब में आ रही खराबी की शिकायत निदेशालय तक पहुंच रही है। शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में आया है कि विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों का उपयोग बहुत कम हो रहा है, जोकि बड़ी विफलता मानी जा रही है। कई विद्यालयों के बारे में पता चला है कि वहां डिजिटल पट्ट आदि का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। निदेशालय द्वारा बार-बार चेताए जाने के बावजूद भी जब विद्यालय के मुखिया नहीं माने।

हरियाणा के निदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने कहा कि उक्त एचसीएस अधिकारी स्कूलों में डिजिटल पट्ट के इस्तेमाल, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अलाट किए गए टैब, आइसीटी प्रयोगशाला की वास्तविक स्थिति तथा भाषा 'लैब' के इस्तेमाल को लेकर अपनी रपट तैयार करेंगे।